भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

PUN.CAB.APTP.No.S665 / 09.06.002 /2025-2026 September 01, 2025

कार्यकारी निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (RRB और लघु वित्त बैंक सहित)
ग्रामीण सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

कृषि में भंडारण और विपणन बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और वेयरहाउस रिसीट फाइनेंसिंग पर कार्यक्रम (Online Mode) (16 से 17 अक्तूबर, 2025)

भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएबी, पुणे 16 से 17 अक्तूबर, 2025 के दौरान Online Mode से बैंकों के अधिकारियों के लिए "कृषि में भंडारण और विपणन बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और वेयरहाउस रिसीट फाइनेंसिंग पर कार्यक्रम" आयोजित कर रहा है।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य:

- कृषि वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण के महत्व और भंडारण संरचनाओं के मान्यता के लिए WDRA मानदंडों पर जागरूकता बढ़ाना।
- गोदाम और शीतागार परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पर ज्ञान साझा करना
- कृषि में क्रेडिट और गोदाम वित्तपोषण के बारे में ज्ञान साझा करना

3. कार्यक्रम हर दियाँ CISCO WebEx platform पर 09.45 a.m. से 05.30 p.m. तक आयोजित किया जाएगा। प्रतिभागी एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन और अच्छी बैंडविथ वाले किसी भी device, जिसमे camera की सुविधा हो (लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन आदि) से कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वेबएक्स प्लेटफ़ॉर्म में शामिल होने के संबंध में विवरण प्रतिभागियों को कार्यक्रम से कुछ दिन पहले सूचित किया जाएगा।

4. Course Contents: कार्यक्रम की व्यापक पाठ्य सामग्री अनुच्छेद 1 में दी गई है।

5. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के लिए अपने बैंक से कृषि-फाइनेंस से संबंधित उपयुक्त अधिकारियों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को नामित करें। नामांकन 06 अक्तूबर 2025 या उससे पहले

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे – 411 016 (महाराष्ट्र) भारत
फोन : (91-020) 25538392 फैक्स : (91-020)25538959/25537089 ई-मेल: principalcab@rbi.org.in

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016 (Maharashtra) INDIA
Phone : (91-020) 25538392 Fax : (91-020) 25538959 E-mail : principalcab@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

nomination.ami@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं। नामांकन First Come First Served basis के आधार पर स्वीकृत किए जाएंगे। **The details of the participation fee are given in Annex II.**

6. नामांकन से संबन्धित किसी भी जानकारी के लिए आप Nomination Desk (श्री प्रथमेश पाटिल – Telephone No. 020-25582396 / श्रीमती साधवी भाटिया – 9834023900) या nomination.ami@rbi.org.in पर ई-मेल से संपर्क कर सकते हैं।

IMPORTANT DATES	
Programme Dates	October 16 to 17, 2025
Last date for receipt of nomination	October 06, 2025
Programme Timings	09:45 am to 05:30 pm
Completion of programme	05.30 p.m. on October 17, 2025

Yours sincerely

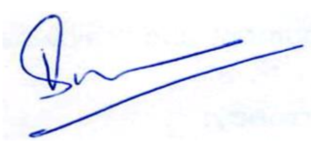

(डॉ. के सुब्रमणियन)
उप महाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य
कार्यक्रम निदेशक
Contact: 9489625948
Email ID- ksubramanian@rbi.org.in

संलग्नक: यथोक्त

Annex I

Broad Course Content

Module I: Storage of Agricultural Commodities

- Storage of agricultural commodities in India – An overview
- Type of storage structures for agricultural commodities
- GoI’s policy and schemes for agricultural storage structures

Module II: Techno-economic appraisal of Storage projects for agriculture

- Design and technical considerations of warehouse projects.
- Financial appraisal of warehouse projects.
- Cold storage structures in agriculture
- Design and technical considerations of cold storage projects.
- Financial appraisal of cold storage projects.

Module III: Scientific Storage and Accreditation of Storage Structures

- Warehouse Regulation Act
- WDRA specifications on scientific storage structures
- Accreditation of storage structures by WDRA

Module IV – Marketing Credit and Warehouse Receipt Financing

- Marketing credit in agriculture – An overview
- Warehouse financing approaches
- Negotiable Warehouse Receipts Financing - e-NWR

Annex II

Programme on Financing of Storage & Marketing Infrastructure in Agriculture and Warehouse Receipt Financing (October 16 to 17, 2025)

Fee Structure

Group	Fees per participant	18% GST	Total fees to be paid per participant (including GST)
Commercial Banks and Financial Institutions	4,300	774	**5,074**
Scheduled UCBs, Non-Scheduled UCBs with deposit base of more than Rs.100 crore, RRBs, Local Area Banks, State Cooperative Banks and NBFCs	2700	486	**3,186**
Non-Scheduled UCBs with deposit base of less than Rs.100 crore, Small Finance Banks, Payment Banks, Government Departments, DCCBs, NGOs, State Level FIs, Non-NBFC MFIs and Certified Credit Counsellors	1,600	288	**1,888**

Please use the programme code AMI-16102025 in Sender to Receiver Information while remitting the fee through NEFT.

PLEASE DON'T REMIT THE PAYMENT THROUGH RTGS. PLEASE MAKE THE PAYMENT BY NEFT ONLY.

In terms of section 48 of RBI Act 1934, RBI is exempted from payment of Income Tax or Super Tax on any of its Income, Profits or Gains. Nominating institutions should, therefore, not deduct TDS on the Programme Fees.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1969 में ग्रामीण और सहकारी बैंकिंग में प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) की स्थापना की गई। इसके बाद, भारतीय वित्तीय क्षेत्र की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखे हुए, महाविद्यालय द्वारा कृषि बैंकिंग, एमएसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, मानव संसाधन और नेतृत्व आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया गया। अकादमिक वर्ष 2021 से महाविद्यालय द्वारा चार फोकस एरिया (4C) यथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन प्रबंधन की पहचान की गई हैं ताकि वित्तीय प्रणाली में मजबूती प्रदान करने और सेवा मानकों में वृद्धि करने के लिए बैंकरों तथा फाइनेंशियल प्रोफेशनलों की क्षमता निर्माण की जा सके। महाविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रमों और अनुसंधान सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इसी के साथ, महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2015 से एमएसएमई वित्तपोषण के क्षेत्र में विशेषीकृत नैमकैब कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किए जाने के साथ ही वर्ष 2021 में मिशन 'अवतु' के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाविद्यालय को 'नोडल संस्थान' के रूप में नामित किया गया।